न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:–157/2022

तारीख रजू :– 12.12.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी (आर.ए.एस.)

उनवान

1. बनी पुत्र सुबुद्वि उम्र 60 साल
2. सुरज्ञान पुत्र सुबुद्वि उम्र 57 साल
3. हंसराम पुत्र सुबुद्विराम 70 साल
4. मोतीराम पुत्र सुबुद्विराम 65 साल

} सभी जाति गुर्जर निवासी डूगापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

सायलान

बनाम

1. ज्ञानसिंह उम्र 65 साल
2. तुलसीराम उम्र 70 साल

} पिसरान जौहरी जाति गुर्जर निवासी डूंगापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– जाकिर खान एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी :–हंसराम गुर्जर एडवोकेट

निर्णय दिनांक–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.17 है0 स्थित ग्राम डुगापुरा पंचायत मोरडा तहसील टोडाभीम में स्थित है। जो सायलान के खातेदारी की भूमि है। जिस पर सायलान अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज चले आ रहे है। जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का सरोकार नहीं है। कि गैरसायलान लठैत, मुठमर्द गिरोह बंद राजनैतिक पहुंच रखने वाले पैसे वाले व्यक्ति है। जो पैठ व पहुंच की दम पर गरीब व्यक्तियों की आराजी पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है तथा अब सायलान की आराजी खसरा नम्बर 1087 में होकर डण्डा कर कब्जा कर वाउण्ड्री कर पक्का निर्माण करना चाहते है। तथा पूर्व में भी सायलान की भूमि उपरोक्त खसरा नम्बर 1087 पर कब्जा करने हेतु सायलान के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचा चुके है। जिसकी एफआईआर नम्बर 143/2022 थाना बालघाट वादी नम्बर 04 द्वारा गैरसायलान के विरूद्व दिनांक 13.05.2022 को दर्ज करवा दी थी।

वाका दिनांक 02/12/2022 को सुबह करीब 09 बजे का है गैरसायलान कारीगरों के साथ सायलान के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1087 पर आये तथा जबरदस्ती सायलान की भूमि में निर्माण कार्य करने लगे। सायलान को पता चलने पर सायलान द्वारा गैरसायलान से मना किया कि उक्त आराजी हमारी है हमारे हिस्से में आयी है तुम्हारा इस आराजी से आज दिनांक तक कोई संबंध कभी भी नहीं रहा हे। तो गैरसायलान नम्बर 01 बोला कि मैने पहले ही बहुत लोगों की जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया है तो तुम किस खेत की मूली हो। ओर सायलान से कहा कि दिनांक 12.05.2022 की मारपीट को भूल गये उस दिन तो बच गये अगर दुबारा इस जमीर पर आये तो जिन्दा नहीं बचोगें। ओर हम तो इस आराजी पर कब्जा करके पक्का निर्माण कर मकानात बनाकर अपने घेर में मिलाकर बाउण्ड्री करके रहेंगे। तथा गैरसायलान, सायलान को सायलान की भूमि खसरा नम्बर 1087 पर जबरदस्ती कब्जा कर बेदखल करने पर उतारू है। तथा सायलान के साथ लडाई झगडा व मारपीट करने पर उतारू है। सायलान द्वारा गैरसायलान को समझाया लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। तथा उपनी हठधर्मिता पर कायम है यदि सायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तथा सालयान को बेदखल कर कब्जा करके पक्का निर्माण कर लिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। कि भूमि खसरा नम्बर 1087 सायलान के कब्जे काश्त की भूमि है। तथा सायलान की खातेदारी की भूमि है। जिससे गैरसायलान का कोई सरोकार नहीं है। गैरसायलान ताकत के बल पर सायलान की भूमि पर कब्जा कर रहे है। यदि गैरसायलान अपनी गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तथा सायलान की भूमि पर कब्जा कर लिया तो सायलान को भारी क्षति उठानी पडेगी। जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। सायलान का इस प्राइमाफेसी पूर्णतः साबित है। तथा सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान व खिलाफ गैरसायालन को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान सायलान की कब्जे काश्त की आराजीयात संख्या 1087 स्थित ग्राम डूगापुरा तहसील टोडाभीम से सायलान को बेदखल कर सायलान की कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा नहीं करें। आराजी में कोई नींव खोदकर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

पुख्ता निर्माण नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे जिससे सायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे। मोके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की ओर से वकील उपस्थित हुये, प्रतिवादी वकील ने प्रर्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 पेश किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार डूगापुरा की जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर 1087 रकबाव 0.17 है0 की खातेदारी बन्नी, मोतीलाल सुरज्ञान, हंसराम पि0 सुबुद्वि जाति गर्जर सा देह के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त खसरा नम्बर में मौके पर तुलसीराम पुत्र जौहरी जाति गुर्जर निवासी डुँगापुरा कें मकानात बने हुऐ हे। और मौके पर मकान बनाकर तुलसीराम पुत्र जौहरी परिवार सहित निवास कर रहे है। प्रतिवादी ने जबाब पेश किया। जबाब में अधिकतर मद अस्वीकार किये गये। एवं विशेष जबाब इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 3743 रकबा 0.06 है0 जिसमें सायलान के नाम हिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज है सायलान ने उक्त भूमि को गैरसायालन से सम्वत 2010 में बदला कर लिया था और खसरा नम्बर 3743 के हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.17 है0 की एवज में गैरसायलान से सायलान ने खसरा नम्बर 3745 रकबा 0.86 है0 में से गैरसायलान का हिस्सा 1/4 सायलान ने ले लिया है तथा तभी से उपरोक्तानुसार सायलान व गैरसायलान काबिज है तथा सायलान ने गैरसायलान से बदले में ली हुई भूमि खसरा नम्बर 3745 रकबा 0.86 है0 के हिस्सा 1/4 पर रिहायश कर ली है। और अब रिहायश करके गैरसायालान को बदले में दी गयी भूमि को खातेदार का नाजायज फायदा उठाकर मुकदमे बाजी का भय दिखाकर छीनना चाहते है जबकि बदल पत्र के दिन से ही खसीरा नम्बर 3743 व 1087 पर गैरसायलान काबिज है। कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1087 पर सायलान का कब्जा नही है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नही है और खारिज होने योग्य है।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**— प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम डूगापुरा तहसील खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.17 है0 की सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा स्वंय के पक्ष में वांछित साक्ष्य, दस्तावेज पेश नहीं किये जो उसके पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण को साबित करते है। मामला उभयपक्ष द्वारा जमीन की अदला—बदली को लेकर है जो साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है।

2. **सुविधा का संतुलनः**— पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः**— उपलब्ध अभिलेखों से भी यह प्रतीत नहीं होता है कि निषेधाज्ञा न देने से वादी को ऐसा अपूरणीय नुकसान क्या होगा जिसकी पूर्ति बाद में नहीं की जा सके। अतः न्यायालय की राय में वादी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिये आवश्यक तीनों तथ्य, प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः सायलान एवं गैरसायलान अपनी—अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1087 रकवा 0.17 है0 पर गैरसायलान मकानात बने हुये है और मौके पर मकान बनाकर निवास कर रहे है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष को एक/दूसरे पक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली